MT-15

निरीक्षण प्रतिवेदन

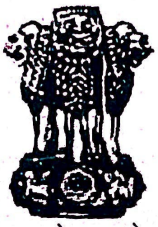

सत्यमेव जयते

थाना कार्यालय : आर0 एस0 शिविर(झंझारपुर थाना)

निरीक्षण की तिथि : 20–11–2002

डा0 बी0 राजेन्दर
भा0 प्र0 से0
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी

डा० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 20-11-2002 को आर०एस०शिविर थाना, झंझारपुर का किये गये निरीक्षण से संबंधित निरीक्षण टिप्पणी ।

1- परिचय :-

झंझारपुर आर० एस० शिविर थाना जिला मुख्यालय, मधुबनी से 42 किलोमीटर की दूरी पर मधुबनी-तकरी-झंझारपुर राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-57 पर झंझारपुर रेलवे स्टेशन गुमटी के समीप स्थित है । यह थाना झंझारपुर आरक्षी अनुमण्डल के अन्तर्गत आता है । इस थाना का सृजन वर्ष 1966 में मधेपुर थाना से पृथक कर किया गया है परन्तु इसकी अधिसूचना गृह (आरक्षी) विभाग से अभीतक निर्गत नहीं की गई है । इस थाना के अन्तर्गत कोई भी सहायक थाना अथवा पुलिस बिकेट नहीं है ।

यह थाना सड़क एवं रेल मार्ग से जुड़ा होने के कारण आवागमन की दृष्टिकोण से सुविधाजनक है । निरीक्षण के समय अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी एवं आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर उपस्थित थे ।

2- भवन :-

आर० एस० शिविर थाना, झंझारपुर को अपना भवन नहीं है । यह थाना भाड़े के भवन में कार्यरत है । थाना प्रभारी के साथ-साथ अन्य आरक्षीकर्मी के लिए आवासीय भवन निर्मित नहीं है । बताया गया कि सरकार के स्तर से विधिवत अधिसूचना निर्गत नहीं होने के कारण थाना भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण में कठिनाई हो रही है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि इस थाना की अधिसूचना निर्गत करने हेतु गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार पटना से पत्राचार करेंगे । साथ ही थाना भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस बिल्डिंग कन्सट्रक्शन निगम, पटना भी पत्राचार करना चाहेंगे । अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, झंझारपुर को निर्देश दिया जाता है कि इस थाना भवन के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल का चयनकर जमीन के अधिग्रहण/हस्तान्तरण का प्रस्ताव शीघ्र समर्पित करेंगे ।

वर्तमान थाना भवन में थाना प्रभारी का कार्यालय कक्ष, सिरिस्ता कक्ष, मालखाना कक्ष, पुलिस बैरेक एवं पुरूष हाजत है परन्तु महिला हाजत नहीं है जिसकी सख्त आवश्यकता है । थाना परिसर के अन्दर दो शौचालय एवं एक चापाकल चालू

लगातार...2/-

हालत में है । यद्यपि थाना परिसर काफी छोटा है किन्तु नियमित रूप से सफाई की जा रही है एवं फुल-पौधे भी लगे हुए हैं ।

3- कीट परेड का निरीक्षण :-

कीट परेड का निरीक्षण किया गया । कीट परेड में आरक्षी गुफरान अहमद, योगेन्द्र प्रसाद शर्मा, छोट लाल टुडू एवं विजय कुमार शामिल हुए । सभी आरक्षियों का आऊट-टर्न अच्छा रहा । आरक्षी नं0 701 विजय कुमार को जर्सी, उलेन कमीज की आपूर्ति नहीं की गई है जबकि अन्य आरक्षियों में वर्दी की आपूर्ति की गई है ।

4- प्रभार :-

श्री दयानन्द राय, अवर निरीक्षक दिनांक 22-05-2002 से थाना प्रभारी के प्रभार में हैं । इनके पूर्व श्री एम0 टुडू, अवर निरीक्षक थाना प्रभारी के रूप में पदस्थापित थे । थाना प्रभारियों की प्रभार सूची वर्ष 1994 से बनाई गई है जबकि यह थाना वर्ष 1966 से कार्यरत है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि प्रारम्भ से लेकर अबतक पदस्थापित थाना प्रभारियों की पदस्थापन सूची एक पक्ष के अन्दर तैयारकर अनुपालन प्रतिवेदन दें । वर्ष 1994 से पदस्थापित थाना प्रभारियों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	नाम	कब से पदस्थापित	कब तक पदस्थापित
1-	अवर निरीक्षक	बलिराम प्रसाद	02-08-1994	08-08-1995
2-	अवर निरीक्षक	शमशुल हक	09-08-1995	01-08-1996
3-	अवर निरीक्षक	रामनाथ राम	02-08-1996	11-07-1997
4-	अवर निरीक्षक	के0 एन0 सिंह	12-07-1997	05-11-1999
5-	अवर निरीक्षक	एम0 टुडू	06-11-1999	21-05-2002
6-	अवर निरीक्षक	दयानन्द राय	22-05-2002	अद्यतन

5- स्थापना :-

आर0 एस0 शिविर थाना में स्वीकृत बल की स्थिति निम्न प्रकार है :-

लगातार...3/-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	रिक्ति
1-	अवर निरीक्षक	1	2	-
2-	सहायक अवर निरीक्षक	1	1	-
3-	हवलदार	1	-	1
4-	आरक्षी	7	6	1

स्वीकृत बल के विरूद्ध पदस्थापन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	नाम	पदस्थापन की तिथि	पूर्व पदस्थापन का स्थान	गृह पता
1-	अवर निरीक्षक	दयानन्द राय	22-05-2002	तकरी थाना	ग्राम-थाना, डी0 मधेपुर
2-	अवर निरीक्षक	शम्भू नाथ सिंह	10-09-2002	आरक्षी केन्द्र	ता0 मदनपुर, जिला छपरा
3-	स0 अ0 नि0	केदार राय	22-08-2002	अंधराठाढी थाना	ग्राम तेलाठ, जिला भोजपुर
4-	आ0नं0-278	राम तवक्या शर्मा	23-08-2001	आरक्षी केन्द्र	ग्राम कल्याणपुर, जिला पटना
5-	आ0नं0-547	योगेन्द्र शर्मा	22-08-2002	झंझारपुर कोर्ट	ग्राम मुहम्मदपुर, जिला पटना
6-	आ0नं0-524	छोटे लाल दुबे	07-07-2002	रहिका थाना	ग्राम हरिपुर, जिला मधेपुरा
7-	आ0नं0-604	राजू दास	13-09-2002	मधुबनी कोर्ट	ग्राम-पो0 चम्पानगर, भागलपुर
8-	आ0नं0- 90	गुफरान अहमद	14-10-2002	देवधा थाना	ग्राम तांतिल, जिला देवरिया
9-	ता0आ0-701	विजय कुमार सिंह	24-09-2002	फुलपरास थाना	ग्राम अलावलपुर, जिला पटना

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि हवलदार एवं आरक्षी का एक-एक पद रिक्त है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी स्वीकृत बल के विरूद्ध पदस्थापन की दिशा में समीक्षोपरान्त कार्रवाई करना चाहेंगे ।

6- पूर्व निरीक्षण :-

आर0 एस0 शिविर थाना का पूर्वमेंनिम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है :-

लगातार...4/-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारियों का नाम ।	पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टि0 प्राप्ति तिथि	अनुपालन की तिथि
1-	श्री निर्मल चन्द्र ढोढियाल	आरक्षी अधीक्षक	06-08-1986	15-08-1986	13-09-1986
2-	श्री भागवत प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक	29-04-1991	28-05-1991	01-01-1992
3-	श्री पी0 आर0 के0 नायडू	आरक्षी अधीक्षक	06-05-1993	07-05-1993	11-08-1993
4-	श्री आर0 एस0 प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक	30-03-1996	16-04-1996	18-12-1996
5-	श्री सहाब अख्तर	आरक्षी अधीक्षक	15-02-1998	10-03-1998	12-04-1998
6-	श्री सहाब अख्तर	आरक्षी अधीक्षक	02-11-1998	21-11-1998	30-12-1998
7-	श्रीमती प्रीता वर्मा	आरक्षी अधीक्षक	30-07-1999	12-08-1999	14-10-1999
8-	श्री विमलेश प्रसाद सिन्हा	आरक्षी अधीक्षक	27-02-2001	08-04-2001	14-09-2001
9-	श्री पी0 पी0 भारती	अनु0आ0पद0	11-02-1990	07-11-1990	15-11-1990
10-	श्री मनमोहन सिंह	स0ह0आ0अ0	28-12-1991	04-01-1992	01-05-1992
11-	श्री एम0 रहमान	अनु0आ0पद0	16-03-1993	04-05-1993	-
12-	श्री एम0 रहमान	अनु0आ0पद0	23-03-1994	20-04-1994	18-11-1994
13-	डा0 एम0 ए0 रज्जाक	अनु0आ0पद0	29-02-1996	27-07-1996	11-11-1996
14-	डा0 एम0 ए0 रज्जाक	अनु0आ0पद0	31-10-1996	25-11-1996	18-12-1996
15-	श्री एस0 आर0 खान	अनु0आ0पद0	24-01-1998	10-03-1998	20-03-1998
16-	मो0 इस्लाम	अनु0आ0पद0	25-03-2000	07-04-2000	17-01-2001
17-	मो0 अमजद अली	अनु0आ0पद0	26-03-2002	21-06-2002	01-09-2002
18-	श्री सत्यदेव सिंह	आ0 नि0	09-12-1987	09-12-1987	09-12-1987
19-	श्री बबन प्रसाद यादव	आ0 नि0	20-07-1989	20-07-1989	30-09-1989
20-	श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह	आ0 नि0	30-11-1990	30-11-1990	-
21-	श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह	आ0 नि0	27-12-1991	27-12-1991	01-06-1992
22-	श्री सीता राम	आ0 नि0	25-05-1993	25-08-1993	15-11-1993
23-	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	आ0 नि0	28-01-2001	28-01-2001	22-02-2001
24-	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	आ0 नि0	27-09-2001	27-09-2001	12-10-2001
25-	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	आ0 नि0	15-09-2002	15-09-2002	29-10-2002

लगातार...5/-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से इस थाना का निरीक्षण किया गया है । अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर द्वारा इस थाना का एकबार भी निरीक्षण नहीं किया गया है जबकि बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 32 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुमण्डल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़नेवाले सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण करेंगे । अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़नेवाले सभी थानों का वार्षिक निरीक्षणकर निरीक्षण टिप्पणी भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

निरीक्षण टिप्पणी की रक्षी संचिका का अवलोकन किया गया । निरीक्षण टिप्पणी का व्योरा वर्ष 1986 से उपलब्ध कराया गया जबकि यह थाना वर्ष 1966 से ही कार्यरत है । निरीक्षण टिप्पणियों के अनुपालन प्रतिवेदन को देखने से स्पष्ट हुआ कि अनुपालन प्रतिवेदन स्पष्ट रूप से नहीं भेजकर "अनुपालन किया गया है/अनुपालन किया जा रहा है" लिखा गया है, जो उचित नहीं है । अनुपालन प्रतिवेदन भेजने में अप्रत्याशित बिलम्ब किया गया है । अधिकांश अनुपालन प्रतिवेदन भेजने में 4 से 8 महीने का समय लिया गया है जबकि श्री एम0 रहमान, अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, झंझारपुर द्वारा दिनांक 16-03-1993 को एवं श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह, आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर द्वारा दिनांक 30-11-1990 को किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन अभीतक नहीं भेजा गया है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि इस हेतु तत्कालीन थाना प्रभारी से अपने स्तर से स्पष्टीकरण प्राप्तकर उनके विरूद्ध समुचित अनुशासनिक कार्रवाई करने की कृपा करेंगे ।

सामान्यतः निरीक्षण टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर स्पष्ट अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिया जाना चाहिए । यदि उक्त अवधि में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो कम-से-कम अंतरिम अनुपालन प्रतिवेदन अवश्य ही भेज दिया जाना चाहिए । यदि वरीय पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के क्रम में दिये गये निर्देशों का स्पष्ट एवं समय-सीमा के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजा जाता है तो निरीक्षण का कोई अर्थ नहीं रह जाता है ।

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रतिवेदन एक माह के अन्दर भेजना सुनिश्चित करेंगे । साथ ही पूर्व की सभी निरीक्षण टिप्पणियों का अध्ययनकर जो कंडिका अनुपालन हेतु अवशेष बचे हुए हैं, उनका भी अनुपालन प्रतिवेदन भेजते हुए सूचित करेंगे कि किस पत्रांक/दिनांक से अनुपालन प्रतिवेदन भेजा गया एवं कोई कंडिका अनुपालन हेतु लंबित नहीं है ।

लगातार...6/-

7- थाना दैनिकी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 116 के तहत फार्म सं0 15 में थाना दैनिकी संधारित किया गया है । थाना दैनिकी के बुक संख्या 12028 के क्रमांक 120270। से 120280। तक का अवलोकन किया गया । यह दो प्रतियों में होती है । कार्बन प्रति प्रतिदिन आरक्षी निरीक्षक को भेज दी जाती है । आरक्षी निरीक्षक एक महीने की थाना दैनिकी को संकलितकर महीने के अंत में आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेज देते हैं । थाना दैनिकी में हर दो घंटे की सूचनाओं को दर्ज किया जाता है । यह कार्य प्रतिदिन सुबह 8-00 बजे से प्रारम्भ होकर अगले दिन 08-00 बजे सुबह अर्थात 24 घंटे के चक्र में चलता रहता है । थाना दैनिकी का संधारण सही ढंग से हो रहा है एवं नियमित रूप से प्रविष्टियाँ की जा रही है ।

थाना दैनिकी में दर्ज कांड संख्या 270/02, दिनांक 15-11-2002 का अवलोकन किया । वादी रामचन्द्र यादव पे0 स्व0 हजारी यादव, ग्राम देवना, थाना सकतपुर जिला दरभंगा द्वारा, झंझारपुर कोशी कॉलनी में निविदा के दौरान यह घटना घटी है, लिखित प्रतिवेदन के आधार पर दर्ज किया गया है जिसमें भैरव झा पे0 नामालुम, सा0 कैथिनियाँ, थाना आर0एस0 शिविर, जिला मधुबनी को धारा 341/323/379/307/504/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अभियुक्त मानते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है । यह कांड अनुसंधानान्तर्गत है ।

थाना दैनिकी में कहीं-कहीं अपलेखन पाया गया है एवं लिखावट भी अच्छी नहीं है । थाना प्रभारी से सुन्दर लिखावट में लिखवाना सुनिश्चित करें एवं यह सुनिश्चित करें कि थाना दैनिकी में अपलेखन/कटिंग नहीं हो । यदि विशेष परिस्थिति में अपलेखन/कटिंग की नौबत आती है तो पुनः काटकर साफ अक्षरों/अंकों में लिखें एवं हस्ताक्षर कर सत्यापित करें ।

8- फिरारी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 118, फार्म सं0 16 में फिरारी पंजी संधारित है । फिरारी पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह दो भागों में संधारित है । भाग-1 में अपने थाना का एवं भाग-11 में दूसरे थाना के अपराधकर्मियों का नाम दर्ज किया जाता है । भाग-1 में §1§ बालाकान्त झा पे0 बद्री झा, सा0 दीप देवही टोल, जो थाना कांड संख्या 11/98, दिनांक 10-8-98 धारा 408 भा0द0वि0 के अन्तर्गत नामजद अभियुक्त हैं, फिरार हैं । §2§ मनोज कुमार अग्रवाल पे0 राधेश्याम

लगातार...7 /-

2-	आ0-278	राम लखन्या सिंह	01	00	01
3-	आ0-547	योगेन्द्र शर्मा	01	00	01
4-	आ0-601	राजू दास	01	00	01
		कुल :-	06	00	06

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित 06 वारंटों का तामिला एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चितकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

10- गिरफ्तार अपराधियों की पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 171 के तहत फार्म संख्या 31 ए. में इस पंजी को संधारित करना है जो इस थाना में संधारित नहीं किया गया है । एक सादे पंजी में इसे संधारित किया गया है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि विहित प्रपत्र के अभाव में इसे संधारित नहीं किया गया है । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से सम्पर्ककर विहित प्रपत्र प्राप्तकर संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । साथ ही यह भी प्रतिवेदित करें कि इस वर्ष जनवरी से लेकर अबतक माहवार कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

11- रजिस्टर ऑफ आर्म्स लाईसेंस :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 130 के तहत फार्म सं0 25 में यह पंजी संधारित है एवं दिनांक 07-09-2002 को अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर के यहाँ संधारित शस्त्र पंजी से मिलान कराया गया है । बिहार शस्त्र अधिनियम 48 के तहत प्रत्येक वर्ष इस पंजी का मिलान करवाया जा रहा है । शस्त्र पंजी के अनुसार इस थाना में कुल 18 आर्म्स लाईसेंस हैं जिनकी विवरणी निम्न प्रकार है :-

(क)	डी0बी0बी0एल0	-	13
(ख)	एस0बी0बी0एल0	-	01
(ग)	राईफल	-	01
(घ)	रिवॉल्वर	-	03
			18

लगातार...9/-

12- हाजत पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के भौलूम II के नियम 239 ए०, फार्म सं0 43 ए० में यह पंजी संधारित करना है । पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है किन्तु सभी कॉलम नहीं भरे जा रहे हैं । यह पंजी अत्यन्त महत्वपूर्ण है । यदि इस पंजी का संधारण सही ढंग से नहीं किया जाता है और कॉलम खाली रखे जाते हैं और यदि बंदी के साथ कोई घटना घट जाती है तो ऐसी स्थिति में साधारणतया यह माना जा सकता है कि थाना प्रभारी द्वारा अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है । यह पंजी उस समय और महत्वपूर्ण हो जाती है, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा न्यायालय द्वारा किसी मामले में प्रतिवेदन की माँग की जाती है । अत: थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी को सही ढंग से संधारित करें, सभी कॉलमों को भरवाना सुनिश्चित करें तथा माहवार हाजत में बन्द व्यक्तियों की विवरणी एक सप्ताह के अन्दर भेजना सुनिश्चित करें ।

13- तख्ती नं0 01 :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 76 के तहत तख्तियों को संधारित करना है । यह तख्ती सरकारी सम्पत्तियों से संबंधित होती है । इस तख्ती में संधारित सरकारी सम्पत्तियों का मिलान दिनांक 04-09-2002 को परिचारी प्रवर, मधुबनी से कराया गया है ।

14- तख्ती नं0 02 :-

थाना में पदस्थापित हर पंक्ति के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूची रखी जाती है । तख्ती अद्यतन है ।

15- तख्ती नं0 03 :-

विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त कारखाने, भंडार, दूकानों की सूची इस तख्ती में रहती है, किन्तु इस थाना यह प्रतिवेदन शून्य है ।

लगातार... 10/-

16- तख्ती नं0 04 :-

इस तख्ती में गोला, बारूद, आयुध से संबंधित सूचना अंकित रहती है परन्तु इस थाना में इस प्रकार का कोई मामला नहीं है ।

17- तख्ती नं0 05 :-

इस तख्ती में विष अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त दूकानों की सूची रहती है । प्रतिवेदन शून्य है ।

18 - तख्ती नं0 06 :-

इस तख्ती में उत्पाद अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त देशी/विदेशी शराब एवं हकीम के दूकानों की सूची रहती है । इस थाना क्षेत्र में एक देशी तथा एक विदेशी शराब की दूकान है । अनुज्ञप्ति की छाया प्रति संधारित की गई है

19 - तख्ती नं0 07 :-

इस तख्ती में लंबित अन्वेषण कांड से संबंधित पदाधिकारियों का नाम अंकित रहता है । सूची अद्यतन है एवं कुल 14 कांड अनुसंधानान्तर्गत है ।

20- तख्ती नं0 08 :-

इस तख्ती में पुलिस अधिनियम की धारा 34 से संबंधित सूचना अंकित की जाती है किन्तु इस थाना में यह मामला नहीं है ।

21- तख्ती नं0 09 :-

इस तख्ती में थाना क्षेत्र में लगनेवाले हाट, मेला, बाजार की सूचना अंकित की जाती है । तख्ती अद्यतन है एवं सूची निम्न प्रकार है :-

लगातार...11/-

क्रमांक	स्थान	मेला	हाट का दिन
1-	आर0एस0शिविर	दुर्गापूजा	प्रतिदिन
2-	दीप	दुर्गापूजा एवं चैत पंचमी	प्रतिदिन
3-	सोहराय	चैत पंचमी	प्रतिदिन
4-	मदनपुर	दुर्गापूजा	प्रतिदिन
5-	बेरमा	दुर्गापूजा	प्रतिदिन
6-	कटमाखोर	जन्माष्टमी	प्रतिदिन
7-	नवटोल	दुर्गापूजा एवं कालीपूजा	प्रतिदिन
8-	बेहट	दुर्गापूजा, कालीपूजा	प्रतिदिन
9-	केथिनियाँ	दुर्गापूजा	प्रतिदिन
10-	रतौल	कालीपूजा	प्रतिदिन
11-	हरभंगा	कृष्णाष्मी में झूला मेला	प्रतिदिन
12-	देवहीटोल	महादेव पूजा ﴾कार्मिक माह﴿	प्रतिदिन

22 - तख्ती नं0 10 :-

इस तख्ती में थाना क्षेत्र के अन्तर्गत पड़नेवाले निर्वाचित मुखिया, सरपंच, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य आदि की सूची संधारित की जाती है । सूची अद्यतन है ।

23- तख्ती नं0 11 :-

इस तख्ती में नियम 152 के तहत उन अधिकारियों और आरक्षी थानों की सूची रखी जाती है जिन्हें हाक-डाक की सूचना भेजी जाती है । सूची अद्यतन है ।

24- तख्ती नं0 12 :-

इस तख्ती में थाना क्षेत्र के निगरानी रखे गये दागियों की सूची रखी जाती है । थाना प्रभारी को निर्देश

लगातार...12/-

दिया जाता है कि इस तख्ती से संबंधित निगरानी में रखे गये व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखें एवं उसकी एक सूची एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करावें ।

25- तख्ती नं0 13 :-

इस तख्ती में अगल-बगल के थाना के सक्रिय अपराधियों की सूची रखी जाती है, जो अद्यतन है ।

26 - तख्ती नं0 14 :-

इस तख्ती में अधिकारियों को भेजी जानेवाली विवरणी लिखी जाती है । तख्ती अद्यतन है ।

27- तख्ती नं0 15 :-

इस तख्ती में थाना का मानचित्र रहता है । मानचित्र रखी गई है एवं एक प्रति दीवाल पर टाँगी भी गई है ।

28- तख्ती नं0 16 :-

इस तख्ती में सरकारी अधिसूचना की प्रति जिससे थाना का क्षेत्र निर्धारित होता है, की प्रति रखी जाती है किन्तु इस थाना का अभीतक विधिवत् अधिसूचना निर्गत नहीं की गई है ।

उपर्युक्त सभी तख्तियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तख्तियों का संधारण अच्छे ढंग से किया गया है, किन्तु कुछ सूचनाओं का अभाव है । थाना प्रभारी इसे निर्धारित समय-सीमा के अन्दर संधारित कर अनुपालन प्रतिवेदन देंगे ।

29- सब इन्सपेक्टर नोट बुक :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म सं0 75 में सब इन्सपेक्टर नोट बुक संधारित करना है किन्तु इस थाना में इसे विहित प्रपत्र में संधारित नहीं कर निजी डायरी के रूप में संधारित किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र प्राप्तकर इसे संधारित करते हुए एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

30- खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट -I :-

यह विहित प्रपत्र में संधारित है जिसमें 64 कॉलम है जबकि नये प्रपत्र में 68 कॉलम हैं । इसे आरक्षी निरीक्षक,

लगातार...13/-

झंझारपुर द्वारा अक्तूबर, 2002 तक लिखा गया है । अच्छे ढंग से संधारित है । थाना प्रभारी नये प्रोफार्मा प्राप्तकर एक के अन्दर संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

31- खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट-।। :-

यह विहित प्रपत्र में संधारित है जिसमें मासिक रूप से पदाधिकारीवार केस रिपोर्ट, अनुसंधानकर्त्ता का नाम, अभिलेख का निष्पादन किस वर्ष करना है, चोरी गये एवं बरामद सामानों की विवरणी आदि थाना प्रभारी द्वारा लिखी जाती है, जो अद्यतन है एवं सही ढंग से संधारित है ।

32- सी0 डी0 पार्ट- । :-

इसमें दागी व्यक्तियों (डोसियर्स) की सूची रखी जाती है । पंजी संधारित है एवं अद्यतन है ।

33- सी0 डी0 पार्ट - ।। :-

यह पंजी आरक्षी हस्तक प्रपत्र सं0 75 अ, अनुसूची 47 प्रपत्र 132 में संधारित है जिसमें क्रमांक 403 तक प्रविष्टि की गई है । इस पंजी में सम्पत्ति से संबंधित अपराध के मामले दर्ज किये जाते हैं । जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे इस पंजी में सूचीबद्ध कर दिया जाता है । इसमें दूसरे थाना का केस लाल स्याही से एवं अपने थाना का केस काला स्याही से अंकित किया जाता है । पंजी के क्रमांक 403 पर कांड सं0 220/02, दिनांक 6-9-2002 धारा 379/411 भा0द0वि0 के अन्तर्गत वादी श्री विलट दास पे0 रामफल दास, ग्राम बेहट, थाना आर0स्स0शिविर के द्वारा दर्ज कराया गया है जिसमें अभियुक्त परीक्षण मंडल पे0 श्री विजय मंडल, सा0 बलराजपुर बभनटोली, थाना बाबूबरही को साईकिल चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़कर जेल भेजा गया है । निरीक्षण के दौरान सी0डी0पार्ट-।।, एम0ओ0रजिस्टर एवं अल्फाबेटिकल रजिस्टर में पूर्ण तालमेल पाया गया ।

34- सी0 डी0 पार्ट - ।।। :-

बिहार आरक्षी हस्तक के प्रपत्र संख्या 753 (।) अनुसूची 47 प्रपत्र संख्या 132(।) में यह पंजी संधारित है

लगातार...14/-

जिसमें थाना क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण विषयों पर यथा यूनियनवार धार्मिक, कृषि, साम्प्रदायिक, भू-विवाद, राजनैतिक मामलों पर गोपनीय अभ्युक्तियाँ वर्षवार थाना प्रभारी द्वारा अंकित की जाती है । पंजी का संधारण सही ढंग से किया जा रहा है ।

35- अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी :-

बिहार आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या 76 में यह पंजी संधारित है । यदि किसी व्यक्ति के चारित्र सत्यापन का मामला आता है तो उसे अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी से नाम देखकर सी0डी0पार्ट-।। से संबंधित व्यक्तियों के आचरण एवं गतिविधि के बारे में जानकारी ली जाती है । वस्तुतः अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी में वैसे व्यक्तियों का नाम रहता है, जो किसी मामले में संलिप्त होते हैं । अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी सी0डी0पार्ट-।। में अंकित व्यक्तियों के आधार पर ही बनाई जाती है । यदि इस पंजी में अंकित व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, तो उनका नाम लाल स्याही से काट दिया जाता है । यह पंजी अच्छे ढंग से संधारित की जा रही है ।

36- एम0 ओ0 रजिस्टर :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म संख्या 76 ए. में एम0 ओ0 रजिस्टर संधारित की गई है इस रजिस्टर में अपराधियों के अपराध करने की शैली जैसे लूटपाट किया गया अथवा नहीं, लाठी-डंडा से मारपीट किया गया या नहीं, गृह भेदन किया गया अथवा नही, अपराधियों द्वारा जाते समय क्या-क्या बोला गया आदि की प्रविष्ट की जाती है । पंजी सही ढंग से संधारित है ।

37 - अप्राकृति मृत्यु :-

अप्राकृतिक मृत्यु पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । विगत पाँच वर्षों का अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित आँकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	सर्पदंश से	जहर खाने से	पानी में डूबने से	बिजली से	आग से	फाँसी से	विविध	कुल
1998	-	-	-	-	01	-	02	03

लगातार...15/-

1999	-	-	-	-	-	-	02	02
2000	-	01	-	-	01	01	01	04
2001	-	01	-	01	02	-	-	04
2002	-	-	-	-	-	-	01	01

लंबित अप्राकृतिक मृत्यु अभियोगों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	यू0डी0कांड सं0	दिनांक	अनुसंधान पदाधिकारी का नाम / पदनाम	लंबित का कारण
1-	02/2000	12-09-2000	अवर निरीक्षक एस0एन0 सिंह	भीसरा जाँच हेतु
2-	02/2001	12-03-2001	अवर निरीक्षक एस0एन0 सिंह	भीसरा जाँच हेतु
3-	03/2001	07-06-2001	स0अ0नि0 आर0एस0 चौधरी	भीसरा जाँच हेतु

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि कांड संख्या 02/2000 ,02/2000 एवं 03/2001 अभी भी लंबित हैं । थाना प्रभारी इसे एक माह के अन्दर निष्पादित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

38 - अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार अधिनियम

यह पंजी सादे पंजी में संधारित है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2001 में कांड संख्या 236/01, दिनांक 3-10-2001 एवं वर्ष 2002 में कांड संख्या 43/02, दिनांक 14-2-2002 दर्ज किया गया है, जो अनुसंधान अन्तर्गत है । यद्यपि कि इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है फिर भी प्रत्येक वृहस्पतिवार को जिला स्तर पर आयोजित जनता दरबार में अक्सर लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा उनका मामला दर्ज नहीं किया जाता है, उनहें समुचित मदद नहीं दी जाती है । इन शिकायतकर्त्ताओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के शिकायतकर्त्ता अधिकतर होते हैं । विदित हो कि आर0एस0 शिविर थाना अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है एवं आये दिन विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भूमिहीन एवं भूमिपतियों के बीच तनाव की सूचनाएँ मिलती रहती है । अतएव थाना प्रभारी

लगातार...16/-

को निर्देश दिया जाता है कि अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दें एवं इस अधिनियम को सख्ती से लागू करावें ताकि आम जनता का विश्वास पुलिस एवं प्रशासन के प्रति बढ़े ।

39- रजिस्टर ऑफ आर्म्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 325 के तहत फार्म सं0 67 में यह पंजी संधारित करना है परन्तु इस थाना में यह पंजी संधारित नहीं की गई है । थाना प्रभारी एक सप्ताह के अन्दर विहित प्रपत्र में पंजी संधारित कर अनुपालन प्रतिवेदन देंगे । इस थाने में एक भी शस्त्र जमा नहीं है ।

40- दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 59(क) के तहत फार्म सं0 6 ए. में यह प्रतिवेदन आरक्षी निरीक्षकों द्वारा भेजा जाना है परन्तु आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर द्वारा यह प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर को नहीं भेजा जा रहा है, जो चिन्ता का विषय है । पुलिस हस्तक के नियम 58(क) में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि "प्रपत्र संख्या 6 ए. में, जो नित्य प्रेषित किया जायगा, उन केसों का विवरण रहेगा, जो प्रतिदिन दर्ज होते हैं" । आरक्षी निरीक्षक इन प्रतिवेदनों को अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी को प्रेषित करेगा, जो इन्हें क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट तथा आरक्षी अधीक्षक को अग्रसारित करेंगे "। आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर इसे भविष्य में सुनिश्चित करेंगे ।

41- चौकीदारी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 13 के तहत विहित प्रपत्र में एवं अच्छे ढ़ंग से चौकीदारी पंजी का संधारण किया जा रहा है । यह पंजी 19 कॉलमों में संधारित है जिसमें प्रत्येक चौकीदार के लिए अलग-अलग पृष्ठ आवंटित है । उपस्थिति रोमन अंक में दर्ज की जा रही है एवं अनुपस्थित चौकीदारों के संबंध में लाल ईंक से इटालियन अंक में लिखा जा रहा है ।

चौकीदारों / दफादारों के स्वीकृत बल एवं पदस्थापन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

लगातार...17/-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	रिक्त
1-	दफादार	02	02	-
2-	चौकीदार	19	18	1

स्वीकृत बल के अनुसार पदस्थापित दफादार/चौकीदार की सूची निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	बीट नं0	पदनाम	नाम	गृह पता
1-	-	दफादार	नूर मुहम्मद	ग्राम सोहरा य, पो0 लोहनारोड, थाना आर0एस0शि0,
2-	-	दफादार	राज कुमार	ग्राम-पो0 हरभंगा, अंचल लखनौर, जिला मधुबनी
3-	1/1	चौकीदार	राम शरण तांती	ग्राम-पो0 बेहट, थाना आर0एस0शिविर, जिला मधुबनी
4-	1/2	चौकीदार	राम स्वरूप मुखिया	ग्राम-पो0 कैथिनिया, अंचल लखनौर, जिला मधुबनी
5-	1/3	चौकीदार	माधव मुखिया	ग्राम अदलपुर, पो0 बेहट, जिला मधुबनी
6-	1/4	चौकीदार	मंचन चौपाल	ग्राम-पो0 कैथिनिया, अंचल लखनौर, जिला मधुबनी
7-	1/5	चौकीदार	बलायती पासवान	ग्राम बलभद्रपुर, पो0 झंझारपुर, जिला मधुबनी
8-	1/6	चौकीदार	भोला खत्वे	ग्राम-पो0 कैथिनियाँ, अंचल लखनौर, जिला मधुबनी
9-	1/7	चौकीदार	भोला पासवान	ग्राम मदनपुर, पो0 रतौल, झंझारपुर, जिला मधुबनी
10-	1/8	चौकीदार	हरेराम पासवान	ग्राम मदनपुर, पो0 रतौल, झंझारपुर, जिला मधुबनी
11-	1/9	चौकीदार	जुम्मन हसन	ग्राम सोहरा य, पो0 लोहनारोड, जिला मधुबनी
12-	2/1	चौकीदार	राम प्रसाद पासवान	ग्राम तुलसिया, पो0 दीप, जिला मधुबनी
13-	2/2	चौकीदार	साधु पासवान	ग्राम-पो0 दीप, जिला मधुबनी
14-	2/3	चौकीदार	मो0 उसमान	ग्राम मधुरा, पो0 हरभंगा, जिला मधुबनी
15-	2/4	चौकीदार	मो0 हमीद	ग्राम मधुरा, पो0 हरभंगा, जिला मधुबनी
16-	2/5	चौकीदार	सुन्दर यादव	ग्राम-पो0 दीप, जिला मधुबनी
17-	2/7	चौकीदार	सूर्यनारायण महतो	ग्राम-पो0 हरभंगा, जिला मधुबनी
18-	2/8	चौकीदार	राजेन्द्र मुखिया	ग्राम झरौली, पो0 गरिमा, जिला मधुबनी
19-	2/9	चौकीदार	महेन्द्र साफी	ग्राम दैरमा, जिला मधुबनी
20-	2/10	चौकीदार	मंगल तांती	ग्राम दैरमा, जिला मधुबनी

लगातार...18/-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चौकीदार का एक पद रिक्त है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि सर्किल नं02 के चौकीदार गोकुल पासवान को दिनांक 31-1-2000 को सेवानिवृत हो जाने के कारण एक पद रिक्त है ।

42- चौकीदारी डिस्पोजीशन पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है एवं सभी 6 कॉलमों को भरा हुआ पाया गया ।

43- मालखाना पंजी :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 307 के तहत फार्म सं0 51 में मालखाना पंजी संधारित करना है जिसमें (क) लावारिस सम्पत्ति (ख) जब्त सामान (ग) कुर्की से प्राप्त सम्पत्ति (घ) अपराधिक विचारणों में प्रदर्श के रूप में भेजी गई सम्पत्ति दर्ज की जाती है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि पूर्व के मालखाना पंजी मालखाना प्रभारी की मृत्यु के कारण मालखाना में बन्द है । वर्ष 2000 से सादे पंजी में एक मालखाना पंजी संधारित की गई है । पूर्व की मालखाना पंजी देखने के बाद ही पूर्ण स्थिति मालुम हो सकती है । उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में विभिन्न निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के क्रम में दिये गये निर्देश के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लखनौर की प्रतिनियुक्ति इन्भेन्ट्री बनाने हेतु की गई है परन्तु अभीतक यह कार्य सम्पन्न नहीं हुआ है । अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्तिकर मालखाना को खोलवाकर इन्भेन्ट्री बनाना सुनिश्चित करेंगे एवं इन्भेन्ट्री सूची की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायेंगे ।

44- मालखाना रिसीट भाउचर पंजी :-

यह पंजी संधारित है जिसमें सक्षम न्यायालय अथवा दण्डाधिकारी के आदेश से जो भी जब्त सामग्री (प्रदर्श) मालखाना से मुक्त किया जाता है, उक्त आदेश की प्रति पेस्टकर रखी जाती है । यह पंजी तीन भागों में होती है यथा (क) जिम्मेनामा पंजी (ख) मजिस्ट्रेट आदेश पंजी (ग) मालखाना पंजी । इन तीनों पंजियों में पूर्ण तालमेल होना जरूरी है परन्तु ऐसा पाया गया है कि इन तीनों पंजियों में पूर्ण तालमेल नहीं होता है जिससे जब्त सामग्रियों को गायब किये जाने

लगातार...19/-

की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में इसे सुनिश्चित करेंगे ।

45 - अनुक्रमणी पंजी :-

अनुक्रमणी पंजी संधारित की गई है जिसके अनुसार इस थाना में कुल 16 पंजियाँ संधारित हैं ।

46- गुण्डा पंजी :-

गुण्डा पंजी सादे रजिस्टर में संधारित है जिसका मिलान डी0 सी0 बी0 शाखा, मधुबनी से दिनांक 7-9-2002 को कराया गया है । इस पंजी के अनुसार कुल 15 व्यक्तियों का नाम दर्ज है ।

47 - अपराध आँकड़ा :-

विगत पाँच वर्षों का अपराध आँकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	हत्या	डकैती	लूट	गृह भेदन	चोरी	दंगा
1998	1	-	-	3	7	3
1999	2	-	1	1	4	6
2000	1	-	-	4	4	4
2001	-	-	-	3	2	2
2002	-	-	-	7	8	1

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस वर्ष गृह भेदन के 07, चोरी के 08 एवं दंगा के 01 कांड प्रतिवेदित हुए हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि नियमिति रूप से राशि गश्ती नहीं किये जाने के कारण गृह भेदन एवं चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सघन एवं नियमित गश्ती का

लगातार... 20/-

कार्य लेख कर अपराधिक गतिविधि पर अंकुश लगायें एवं सघन छापामारी कर आपराधिक तत्वों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें । आरक्षी निरीक्षक एवं अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, झंझारपुर को इस पर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है ।

48- पत्राचार :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 912 के तहत प्रपत्र संख्या 119 अ में प्राप्त पत्रों की पंजी एवं प्रपत्र संख्या 119 अ में निर्गत पत्रों की पंजी संधारित करना है जिसमें (1) न्यायालय से संबंधित (2) विभाग से संबंधित (3) सीमावर्ती थानों से संबंधित (4) आम जनता से संबंधित एवं (5) आचरण सत्यापन से संबंधित मालूम होती है । पंजी संधारित है जिसके अनुसार विगत तीन वर्षों के पत्राचार की स्थिति निम्न प्रकार है :-

वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या	निर्गत पत्रों की संख्या
1999	185	550
2000	148	350
2001	274	474
2002	209	488

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राप्त पत्रों की तुलना में निर्गत पत्रों की संख्या अधिक है । पत्राचार की स्थिति संतोषजनक है ।

49- कॉन्सटेबल नोट बुक :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 89(ड.) के तहत कॉन्सटेबल नोट बुक संधारित करना है जिसमें उल्लेख करना है कि संबंधित कॉन्सटेबल द्वारा कौन-कौन-सा कर्त्तव्य सम्पन्न किया गया, किस कार्य से कहाँ-कहाँ गया । परन्तु इस थाना में इसे विहित प्रपत्र में संधारित नहीं कर अ0 सं0 547 योगेन्द्र शर्मा एवं अ0 सं0 90 गुफरान अहमद द्वारा सादे पेड में संधारित किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र प्राप्तकर एक सप्ताह के अन्दर इसे

लगातार...21/-

संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

50 - प्राथमिकी पंजी :-

इस थाना की प्राथमिकी मधेपुर थाना में दर्ज की जाती है एवं इस थाना में रैडो प्राथमिकी लिखी जाती है । प्राथमिकी पंजी के क्रमांक 137725 से 1377300 तक का अवलोकन किया । इस वर्ष कुल 50 प्राथमिकी दर्ज की गई है । यह पंजी पाँच प्रतियों में होती है । दर्ज प्राथमिकी की प्रथम प्रति मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, झंझारपुर, दूसरी प्रति आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी, तीसरी प्रति अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, झंझारपुर, चौथी प्रति आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर को भेजी जाती है एवं पाँचवी प्रति थाना में रखी जाती है । प्रत्येक वृहस्पतिवार को जिला स्तर पर आयोजित जनता दरबार में अक्सर लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है । चूँकि थाना को प्रथम न्यायालय कहा गया है, अतः जब कोई व्यक्ति थाना में अपनी शिकायत लेकर आता है तो प्रथम न्यायालय में उसे अवश्य न्याय मिलना चाहिए । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जब कोई व्यक्ति शिकायत लेकर थाना में आता है तो उनकी बातों को पूरी तन्मयता से सुनें एवं प्राथमिकी दर्जकर निष्पक्ष होकर त्वरित कार्रवाई करें ताकि पुलिस एवं प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास एवं आदर-भाव बढ़े ।

51 - अप्राथमिकी पंजी :-

विगत पाँच वर्षों का अप्राथमिकी आँकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	107/116	109	144/145	182/211	133/188	186/290
1998	55(16)	-	08	01	-	-
1999	28(7)	-	02	02	-	-
2000	24(4)	-	08	03	-	-
2001	38	-	06	04	-	-
2002	31	-	04	02	01 (01)	-

लगातार...22/-

52 - लंबित विशेष प्रतिवेदित कांडों की विवरणी :-

लंबित विशेष प्रतिवेदित कांडों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	कांड संख्या	दिनांक	धारा	अनुसंधानकर्त्ता का नाम/पदनाम	लंबित का कारण
1-	242/98	15-01-1998	420/467/468/464/471/466/120(बी)	अ0नि0 डी0एन0राय	जाँच हेतु
2-	142/99	02-07-1999	468/420/379 भा0द0वि0	अ0नि0 डी0एन0राय	अनुसंधान में
3-	236/01	03-10-2001	147/341/323/324/307 /379/504/314	अनु0अ0पद0, झंझारपुर	अनुसंधान में
4-	43/02	14-02-2002	452/341/342/323/504/506/34/314	अनु0अ0पद0, झंझारपुर	अनुसंधान में
5-	32/02	03-02-2002	420/406/120(बी) भा0द0वि0	अ0नि0 एस0एन0 सिंह	अनुसंधान में
6-	84/02	21-03-2002	419/420/474/120(बी) भा0द0वि0	अ0नि0 एस0एन0 सिंह	अनुसंधान में
7-	61/02	01-03-2002	342/323/386/379/307/34 भा0/27 आ0	अ0अ0नि0 एस0एन0 सिंह	कुर्की-जब्ती एवं गिरफ्तारी हेतु

53- लंबित अविशेष प्रतिवेदित कांडों की विवरणी :-

1-	18/99	21-01-1999	379/411 भा0द0वि0	अ0नि0 एस0एन0 सिंह	गिरफ्तारी हेतु
2-	256/02	31-10-2002	457/380 भा0द0वि0	अ0नि0 एस0एन0 सिंह	अनुसंधान हेतु
3-	171/02	25-06-2002	341/342/323/324/504/379/307/34	स0अ0नि0 केदार राय	गिरफ्तारी हेतु
4-	172/02	25-06-2002	341/323/324/504/379/307/34 भा0	स0अ0नि0 केदार राय	गिरफ्तारी हेतु
5-	210/02	22-08-2002	147/148/341/323/324/379/307/504	स0अ0नि0 केदार राय	गिरफ्तारी हेतु
6-	211/02	22-08-2002	147/148/341/323/324/379/307/504	स0अ0नि0 केदार राय	गिरफ्तारी हेतु
7-	244/02	19-10-2002	461/379 भा0द0वि0	स0अ0नि0 केदार राय	गिरफ्तारी हेतु

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1998 के एक एवं 1999 के दो मामले अभीतक लंबित हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित कांडों के निष्पादन की दिशा में त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए एक माह

लगातार...23/-

के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

54 - चरित्र सत्यापन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 92 (क) में नियोजनार्थियों के पूर्व चरित्र के सत्यापन हेतु विशेष निर्देश दिये गये हैं । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि चरित्र सत्यापन से संबंधित कोई भी मामला लंबित नहीं है । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि चरित्र सत्यापन से संबंधित मामले प्राप्त होने पर एक सप्ताह के अन्दर उनका सत्यापन कर संबंधित विभाग को लौटा दें ताकि संबंधित व्यक्ति को नियोजन से वंचित नहीं होना पड़े ।

55 - कैश बुक :-

कैश बुक पार्ट-I एवं पार्ट-II का संधारण किया गया है । पार्ट-I में कैदियों के भोजन की राशि अंकित की जाती है । पार्ट- II में आरक्षियों के वेतन आदि की विवरणी लिखी जाती है । प्राप्त राशि का वितरण कर दिया गया है । कैश बुक का संधारण अच्छे ढंग से किया जा रहा है ।

56- सम्मान गार्ड :-

निरीक्षण हेतु पहुँचने पर निम्नांकित आरक्षियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सलामी दी गई । सभी आरक्षियों का आऊट-टर्न अच्छा रहा । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी इन्हें नियमानुसार पुरस्कृत करना चाहेंगे :-

(क)	हवलदार	-	रामेश्वर राय
(ख)	आरक्षी-483	-	लालो यादव
(ग)	आरक्षी-593	-	मंगल प्रसाद
(घ)	आरक्षी-332	-	मोतीलाल राम
(च)	गृहरक्षक-831	-	उमेश यादव

लगातार...24 /-

57 - अन्यान्य :-

§क§ जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में पी० पी० द्वारा शिकायत की जाती है कि अनुसंधानकर्त्ता की डायरी के अभाव में बहुत सारे मामलों में एक्युटल का सामना करना पड़ता है । अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि गवाह प्रोडक्शन के लिए जो सम्मन भेजे जाते हैं, उसका तामिला निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे एवं केस डायरी को माँग किये जाने पर समसमय उपलब्ध करायेंगे ।

§ख§ जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में ए०पी०पी० द्वारा शिकायत की जाती है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में कांडों के निष्पादन में कठिनाई होती है । अतएव थाना प्रभारी लंबित कांडों के निष्पादन की दिशा में आवलम्ब कार्रवाई करें ।

§ग§ भूमि विवाद का स्थायी समाधान निकालें । अतिक्रमण हटाने/शांति-व्यवस्था कायम करने में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से प्रत्येक सप्ताह समन्वय स्थापितकर अपेक्षित सहयोग दें ।

§घ§ नीलाम पत्र वादों के विरूद्ध निर्गत डी०डब्लू०/बी०डब्लू० का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करें ताकि सरकारी राजस्व की वसूली में प्रगति लाई जा सके ।

§च§ बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 100 में थाना प्रभारी को अतिक्रमण हटाने हेतु शक्ति प्रदत्त है । इसी प्रकार इन्क्रोचमेंट एक्ट में भी थाना प्रभारी को शक्ति प्रदत्त है । अतः उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने थाना क्षेत्र से अस्थायी अतिक्रमण हटाने हेतु शीघ्र कार्रवाई करें ।

§छ§ गरीब एवं असहाय व्यक्ति/अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखें एवं उनकी कठिनाईयों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष होकर मदद करें ।

§ज§ सतत/सघन छापामारी अभियान चलाकर/रात्रि गश्ती को चुस्त-दुरूस्तकर अपराध नियंत्रण हेतु ठोस एवं कारगर कार्रवाई करें ।

§झ§ विभिन्न सूचनाओं को तामिला कराने/आसूचना संग्रह हेतु चौकीदारों की सेवा कम-से-कम सप्ताह में एक दिन अंचल अधिकारी को उपलब्ध करावें ।

लगातार...25/-

58 - निष्कर्ष :-

कुल मिलाकर थाना का कार्य-कलाप संतोषप्रद कहा जा सकता है । थाना प्रभारी पूरी चुस्ती एवं मुस्तैदी से अपने कर्त्तव्यों का पालन कर रहे हैं । पंजियों एवं अभिलेखों का संधारण सही ढंग से किया जा रहा है । कुछ त्रुटियाँ रह गई हैं, उन्हें शीघ्र दूरकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे । नियमित रूप से साफ-सफाई की जा रही है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि थाना प्रभारी, आर०एस०शिविर को 500/-रू० की राशि से पुरस्कृत करना चाहेंगे । स०अ०नि० केदार राय का भी प्रयास अच्छा रहा है ।

30.11.2002

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

ज्ञाप संख्या 3374 मु०/सामान्य मधुबनी, दिनांक 30 नवम्बर, 2002 ई० ।

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - गृह सचिव, गृह(आरक्षी)विभाग, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - आरक्षी महानिरीक्षक(प्रशासन), बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - आरक्षी महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - आरक्षी उप महानिरीक्षक, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - थाना प्रभारी, आर०एस०शिविर, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

30.11.2002

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।